# प्रेस नोट

**सराहनीय कार्य कानपुर देहात**

**दिनाँक- 27.06.2025**

- ❖ **आवेदक को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 4,000/- रुपये की धोखाधड़ी की गयी।**
- ❖ **थाना रसूलाबाद पुलिस (साइबर हेल्प डेस्क) द्वारा कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता के खाते में कुल धनराशि ₹ 4,000 को वापस कराया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध निवारण की दिशा में साइबर क्राइम से सम्बन्धित घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, शिकायतकर्ता श्री विमल तिवारी पुत्र स्व0 अशोक तिवारी निवासी शास्त्री नगर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को दिनांक 27.11.2024 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर शिकायतकर्ता से UPI के माध्यम से 4,000 रुपये का फ्रॉड किया गया। जिसके सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज करायी गयी थी। उक्त शिकायत पर जांच एवं कार्यवाही करते हुए थाना रसूलाबाद पुलिस (साइबर सेल हेल्प डेस्क) द्वारा शिकायतकर्ता की कुल धनराशि ₹ 4,000 खाते में वापस करायी गयी। पुलिस की कार्यवाही की भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए शिकायतकर्ता ने थाना रसूलाबाद पुलिस का धन्यवाद दिया।

**खाते से धोखाधड़ी से पैसा निकलने की दशा में तुरंत 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करे।**

**वापस करायी गयी धनराशि-**

**₹ 4,000/-**

**धनराशि वापस कराने वाली थाना रसूलाबाद पुलिस टीम**